



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्ड कोटकासिम अलवर
 अनवान चोरलाल बनाम शमानन्द
 किस्म मुकदमा ३१२ मु०नं० १५५ सन् २०२०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
<p>08/09/20</p>	<p>प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट के तहत पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं सलंगन दस्तावेजात के अवलोकन व शपथ पत्र प्रार्थी से सन्तुष्ट होकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण आगामी पेशी दिनांक 08.10.2020 तक इस अमर से जारी की जाती है कि वो विवादित आ०ख०नं० 246/0.2559, 121/0.8093, 216/0.2023, 275/0.4046, 280/0.1138, 328/0.0885, 92/1.1128, 178/0.1644, 40/655/0.6449 है० वाके ग्राम कैरवा तह० कोटकासिम जिला अलवर में प्रार्थी के हक हिस्से तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे। जो भी उज्र हो तो असालतन वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 08.10.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम </p> <p> ^{६/१०} मुद्राय फरीकन उपस्थित अस्थायी प्रार्थी ने कर्तव्य स्थान किया हुआ है। प्रार्थना पत्र दि० १०.१०.२० को पेश हुआ। </p> <p> ^{१०/१०} मुद्राय फरीकन उपस्थित अस्थायी प्रार्थी ने कर्तव्य स्थान किया हुआ है। प्रार्थना पत्र दि० १०.१०.२० को पेश हुआ। </p> <p> ^{५/११} प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर प्रत्येकी पेश हुई (प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पेश कर देपना वाद स्थायी करा लिया है। इमकी प्रार्थना पत्र को स्थायी किया गया है। प्रत्येकी प्रार्थना सुनने के बाद जज ने जज से जज वाद स्थायी कर देपना वाद है। </p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) </p>	